

क्रमांक/सा.सहा./2017/2171
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/10/2017

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त आयुक्त,
नगर निगम, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

विषय :- पेंशन हितग्राहियों को प्रतिमाह पेंशन भुगतान करने हेतु निर्धारित की गई समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

पेंशन वितरण हेतु इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर (ई.पी.ओ.) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) करने की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जून 2017 माह से पेंशन का वितरण ई.पी.ओ. द्वारा पेंशन पोर्टल (pensions.samagra.gov.in) के माध्यम से प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य स्तर से नोडल बैंक द्वारा पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों द्वारा दर्ज किये गये हितग्राहियों के बचत खातों में किया जा रहा है। माह सितम्बर की पेंशन भुगतान सिंगल क्लिक पर समस्त 35 लाख हितग्राहियों को एक साथ राज्य स्तर से किया गया। प्रतिमाह पेंशन हितग्राहियों को पेंशन राशि का भुगतान समय पर हो सके इस हेतु निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है :-

क्रं.	प्रतिमाह की जाने वाली कार्यवाही	समय-सीमा (दिनांक)
1.	राज्य स्तर से पेंशन पोर्टल पर प्रतिमाह पेंशन प्रपोजल तैयार कर स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराना	1 तारीख को
2.	संचालनालय पर प्रतिमाह पेंशन भुगतान हेतु बिल तैयार करना	1 से 5 तारीख तक
3.	संचालनालय द्वारा कोषालय में बिल लगाना	6 से 10 तारीख तक
4.	राज्य स्तर से कोषालय से राशि बैंक खाते में जमा करना	11 से 15 तारीख तक
5.	स्थानीय निकायों द्वारा नवीन स्वीकृत करने, अपात्र को प्रपोजल से हटाने व बचत खाता नम्बर अपडेट करने की कार्यवाही	1 से 22 तारीख तक
6.	स्थानीय निकायों द्वारा प्रपोजल को लॉक कर पेंशन भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रमाण-पत्र प्रेषित करना	23 से 24 तारीख तक
7.	संचालनालय से पेंशन वितरण हेतु फाईल तैयार कर डिजीटली हस्ताक्षर कर बैंक को प्रेषित करना	25 से 26 तारीख तक

क्रं.	प्रतिमाह की जाने वाली कार्यवाही	समय-सीमा (दिनांक)
8.	बैंक द्वारा पेंशन भुगतान की कार्यवाही	27 से 28 तारीख तक
9.	बैंक द्वारा सफल व असफल भुगतान की जानकारी उपलब्ध कराना	29 से 31 तारीख तक
10.	पेंशन पोर्टल पर रिपोर्ट अपडेट करना	1 तारीख तक

उपरोक्तानुसार समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाये, तथा संबंधित स्थानीय निकायों के पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन प्रपोजल में शामिल पेंशन हितग्राही पेंशन की पात्रता शर्तों को पूर्ण करता हो, जानकारी में त्रुटि नहीं हो, बचत खाता नम्बर व आई.एफ.एस. कोड सही दर्ज हो। यदि किसी भी जानकारी में त्रुटि होने के कारण पात्र हितग्राही को पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं होता है अथवा अपात्र को पेंशन का भुगतान होने की स्थिति में संबंधित स्थानीय निकायों के पदाभिहित अधिकारी पूर्णतः जबाबदेह होंगे।

कृपया उक्त निर्धारित समय-सीमा में समस्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(अशोक शाह)

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 7/10/2017

पृ. क्रमांक/सा.सहा./2017/2172
प्रतिलिपी :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन म.प्र.।
3. जनरल मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, म.प्र. की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, वित्त, संचालनालय।
6. उप संचालक, सामाजिक सहायता, संचालनालय।
7. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण उक्त समय-सीमा का पालन कराना सुनिश्चित करें।
8. लेखा अधिकारी, संचालनालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, भोपाल, म.प्र.